डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

विजेन्द्रसिंह बनाम सरदारसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 74/2020

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खाता स. 616 के खसरा नम्बरा नं. 4496 रकवा 0.62, 4509 रकवा 0.67, 4523 रकवा 0.55, 4547 रकवा 0.29, 4551 रकवा 0.59, 4552 रकवा 0.30 4568 रकवा 0.15, किता 7 कुल रकवा 3.17 हैक्ट. वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई पर चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन कर, प्रतिवादी स. 1 असल के साथ वा हिस्सा बराबर यानि वादीगण स. 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी स. 1 असल 1/4, 1/4 , 1/4 , 1/4 हिस्से का एवं खाता स. 617 के खसरा न. 4532 रकवा 0.70 हिस्सा 51/86 वाके ग्राम कबई द्वितीय चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण स. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी स. 1 असल को बा हिस्सा बराबर यानि 51/344, 51/344, , 51/344, , 51/344, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी स. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **22.02.2021** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत————

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

1. विजेन्द्रसिंह उम्र 45 साल पि. सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. लक्ष्मनसिंह उम्र 40 साल पि. सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. विनोद कुमार उम्र 35 साल पि. सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. सरदारसिंह उम्र 75 साल पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

असल प्रतिवादी

2. अँगूरी देवी पत्नि परसराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. दलवीर सिंह पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. निहाली पत्नि डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. महेन्द्र पुत्र परशराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. मोहनी पुत्र परशराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. रनधीरसिंह पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. सतीशचंद पुत्र परशराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. राजेश कुमारी पुत्री डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. सुरेश पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

22/7/21
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 74/2020
जी.सी.एस.एम. नं. 2020/00125
किस्म – दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 22.02.2021

1. विजेन्द्रसिंह उम्र 45 साल पि. सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. लक्ष्मनसिंह उम्र 40 साल पि. सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. विनोद कुमार उम्र 35 साल पि. सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

– वादीगण

<u>बनाम</u>

1. सरदारसिंह उम्र 75 साल पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई

असल प्रतिवादी

2. अँगूरी देवी पत्नि परसराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. दलवीर सिंह पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. निहाली पत्नि डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. महेन्द्र पुत्र परशराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. मोहनी पुत्र परशराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. रनधीरसिंह पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. सतीशचंद पुत्र परशराम जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. राजेश कुमारी पुत्री डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. सुरेश पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

तर प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह (वादी की और से)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>निर्णय</u> दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एव प्रतिवा[illegible] से ऐसा कोई सक्स नही है जो दावा लड़ने के योग्य न हो यानि दो[illegible] है।
2. यह कि आराजी खसरा नम्बरा [illegible] 4496 रकवा 0.[illegible] 4509 रकवा 0.67, 4523 रकवा 0.55, 4547 रकवा 0.29, 4551 रकवा 0.59, 4552 रक[illegible].30 4568 रकवा 0.15, किता 7 कुल रकवा 3.17 हैक्ट. वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिनमें से खाता सं.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

616 के खसरान नम्बरान 4496, 4509, 4523, 4547, 4551, 4552, 4568, किता 7 कुल रकवा 3.17 हैक्ट. के 1/4 ,1/4 हिस्से पर वादीगण सं. 1 लगायत 3 प्रतिवादी असल सं. 1 के साथ साथ वा हिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। तथा खाता सं. 617 के खसरा नम्बर 4532 रकवा 0.70 हैक्ट. के 51/86 हिस्से पर वादीगण सं. 1 लगायत 3 प्रतिवादी सं. असल सं. 1 के साथ साथ वा हिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। सत्यप्रति जमाबंदी सं. 2074 से 2077 वाके कबई द्वितीय वाद पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र की आराजी वादीगण सं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी आराजी है। सजरा वादीगण सं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं. 1 निम्न प्रकार है।

4. यह कि विवादित आराजी वणित चरण सं. 2 वाद पत्र वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता सरादारसिंह प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण के बाबा सूरजमल से विरासत में प्राप्त हुई है। तथा उक्त सूरजमल के नाम खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि का विभाजन पूर्व में उसके पुत्रगण परभाती, प्रतिवादी सं. 1 सरदार सिंह , साहबसिंह व भीमसिंह के मध्य हो चुका है। विवादित आराजी वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता को अपने भाईया के मध्य हुए विभाजन से प्राप्त हुई है।

5. यहकि हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम चले आ रहे वाहिद खातेदार के गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी असल सं. 1 विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद की आराजी को दीगर व्यक्तियो को वय व मुन्तकिल करने की धमकियां देता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण सं. 1 ल. 3 विवादित आराजी वर्णित चरण सं. वाद पत्र की आराजी पर अपने आपको प्रतिवादी असल सं. 1 के साथ साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

6. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की आराजी को प्रतिवादी असल सं. 1 ने व मुकाम कबई तहसील नदबई पर दिनांक 19.07.2020 को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर देने व वादीगण सं. 1 लगायत 3 को बेदखल कर देने की एलानिया धमकी वादीगण के विरूद्ध दी है। अगर प्रतिवादी सं. 1 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी अतः वादीगण वर्बाद हो जावेगें वादीगण सं. 1 लगायत 3 प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

7. यह कि तर. प्रतिवादीगण सं. 2 ल 10 को खाता सं. 617, के सहखातेदार होने की वजह से पक्षकार त. प्रतिवादीगण के रूप में बनाया गया है। उनसे किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाही गई है।

8. यह कि बिनाय मुर्खासमत दावा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा व मुकाम कबई तहसील नदबई पर दिनांक 19.07.2020 को एलानियां धमकी वादीगण को दिये जाने से पैदा हुई है।

9. यह कि विवादित आराजी मुकदमा फरीकेन के न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से अदाल श्रीमान को वाद पत्र की सुनवाई के अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

निर्णय

10. यह कि कोर्ट फीस तलवाना नियमानुसार चस्पा कर के पेश है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावे।

अ. यह घोषित किया जावे कि वादीगण सं. 1 लगायत 3 विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र की आराजी खाता सं. 616 कबई कबई द्वितीय तहसील नदबई के प्रतिवादी सं. 1 के साथ वाहिस्सा बराबर यानि कि वादीगण एवं प्रतिवादी असल सं. 1 /4, 1 /4, 1 /4, 1 /4, हिस्से के खातेदार व काबिज है तथा खाता सं. 617 के वादीगण सं. 1 लगायत 3 प्रतिवादी सं. 1 के साथ साथ 51/86 हिस्से पर वा हिस्सा बराबर यानि कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 51/344, 51/344, 51/344, 51/344,हिस्से के वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई के खातेदार व काबिज है। तथा

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 की और से श्री बृजेश शर्मा एण्ड़0 उपस्थित हुऐ। तथा इनकी और से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी स. 2 लगायत 10 को वादी के प्रार्थना पत्र पर तर्क किया गया। प्रतिवादी स. 1 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति राजीनामा दिनांक 18.11.2020 का वादीगण व प्रतिवादी स. 1 की और से पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादी स. 1 सरदारसिंह द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर मुताबिक दावा प्रार्थना पत्र अनुसार डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी गई। उसके बाद राजीनामा को दोनो पक्षकारन की उपस्थिति में सुनाया जाकर बाद तस्दीक किया गया।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2074–77 वाके ग्राम कबई प्रदर्श–1 व 2, नकल प्रमाणित फोटो प्रतिमिसल बन्दोबस्त संवत 2028 वाके ग्राम कबई प्रदर्श 3 व 3 ए, नकल प्रमाणित फोटो प्रति इन्तकाल स. 437 ग्राम कबई प्रदर्श 4, नकल प्रमाणित फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके गाम कबई 5, नकल प्रमाणित फोटो प्रति जमाबंन्दी संवत 2038 से 2041 वाके कबई द्वितीय प्रदर्श 6 पेश किये गये। तथा मौखिक बयान के रूप में वादी बिजेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। तथा साक्ष्स प्रतिवादी बंद कि जाकर बहस अन्तिम में पत्रावली नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 में खाता सं. 616 व 617 में वर्णित खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बरा नं. 4496 रकवा 0.62, 4509 रकवा 0.67, 4523 रकवा 0.55, 4547 रकवा 0.29, 4551 रकवा 0.59, 4552 रकवा 0.30 4568 रकवा 0.15, किता 7 कुल रकवा 3.17 हैक्ट. तथा 4532 वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिनमें से खाता सं. 616 व 617

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

पर वादीगण के पिता सरदारसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी कबई के नाम दर्ज रिकार्ड है।, नकल प्रमाणित फोटो प्रतिमिसल बन्दोबस्त संवत 2028 वाके ग्राम कबई प्रदर्श 3 व 3 ए में विवादित आराजीयत पर वादीगण के पिता के पिता यानि दादा सूरज बल्द हरभजन जाति जाट साकिन देह खातेदार के नाम अंकन हो रहा है। नकल प्रमाणित फोटो प्रति इन्तकाल स. 437 ग्राम कबई प्रदर्श 4 पर वादीगण के दादा सूरज बल्द हरभजन जाति जाट साकिन देह खातेदार के नाम अंकन हो रहा है। जो कि जरिये विभाजन मध्य से प्राप्तहुई आराजी है। जो विवादित आराजी वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता को अपने भाईया के मध्य हुए विभाजन से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता सरादारसिंह प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण के बाबा सूरजमल से विरासत में प्राप्त हुई है। जो एक पैत्रिक पुतैनी कि आराजीयात है, तथा उक्त सूरजमल के नाम खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि का विभाजन पूर्व में उसके पुत्रगण परभाती, प्रतिवादी सं. 1 सरदार सिंह , साहबसिंह व भीमसिंह के मध्य हो चुका है। विवादित आराजी वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता को अपने भाईयो के मध्य हुए विभाजन से प्राप्त हुई है। हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स. 1 सरदारसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी निवासी कबई के नाम दर्ज है। जो पुस्तैनी आराजीयत है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार निहत है। प्रतिवादी स. 1 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति राजीनामा दिनांक 18.11.2020 को पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी स. 1 सरदारसिंह द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर मुताबिक दावा प्रार्थना पत्र अनुसार डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी गई। तथा मौखिक बयान के रूप में वादी बिजेन्द्रसिंह पत्रु सरदारसिंह जाति जाट निवासी कबई पेश किया गया जिसेवादीगण के वाद पत्र की ताहित करता है। अत वादी गण का वाद पत्र काबलि डिक्री के है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता स. 616 के खसरा नं. 4496 रकवा 0.62, 4509 रकवा 0.67, 4523 रकवा 0.55, 4547 रकवा 0.29, 4551 रकवा 0.59, 4552 रकवा 0.30 4568 रकवा 0.15, किता 7 कुल रकवा 3.17 हैक्ट. वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई पर चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन कर, प्रतिवादी स. 1 असल के साथ का हिस्सा बराबर यानि वादीगण स. 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी स. 1 असल 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से का एवं खाता स. 617 के खसरा न. 4532 रकवा 0.70 हिस्सा 51/86 वाके ग्राम कबई द्वितीय चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण स. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी स. 1 असल को बा हिस्सा बराबर यानि 51/344, 51/344, , 51/344, , 51/344, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी स. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैंसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested